कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मार्स इण्टरनेशनल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-19, साइट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**013 / 16, 11.07.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अंगद अहलुवालिया, अधिकृत प्रतिनिधि ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री मार्स इण्टरनेशनल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड सी-19, साइट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11.07.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Pet Food (dog & cat feed) पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अंगद अहलुवालिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1787, दिनांक 04.08.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत व्यापारी के वर्ष 2013-14 के प्रान्तीय / केन्द्रीय एवं प्रवेशकर वादों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम कर निर्धारण की सुनवाई हेतु व्यापारी को नोटिस संख्या-N6287935700100 / दिनांक 17.05.2016 जारी की गयी थी तथा पुन: ऑन लाइन रिमाइण्डर नोटिस दिनांक 16.07.2016 जारी करते हुए दिनांक 30.07.2016 को वाद की सुनवाई नियत की गयी । यह नोटिस विधिवत व्यापारी पर तामील है । विधिक रूप से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्राविधान है :-

'' If any question arises, otherwise than in a proceedings pending before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act ''

जहॉ तक व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु Pet Food (dog & cat feed) के उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करमुक्त होने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की Entry-4 में निम्न Items को करमुक्त माना गया है :-

Aquatic feed; poultry feed including balanced poultry feed; cattle feed including balanced cattle feed; and cattle fodder including green fodder, chuni, bhusi, chhilka, choker, javi, gower, de-oiled rice polish, de-oiled rice bran, de-oiled rice husk, de-oiled paddy husk or outer covering of paddy ; aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives thereof ; wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake; rice polish; rice bran and rice husk; Sanai and dhaincha

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित / बिक्रीत वस्तु Pet Food (dog & cat

.....2

feed) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-4 से आच्छादित नहीं है जो निम्नवत है :-

Aquatic feed; poultry feed including balanced poultry feed; cattle feed including balanced cattle feed; and cattle fodder including green fodder, chuni, bhusi, chhilka, choker, javi, gower, de-oiled rice polish, de-oiled rice bran, de-oiled rice husk, de-oiled paddy husk or outer covering of paddy ; aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives thereof ; wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake; rice polish; rice bran and rice husk; Sanai and dhaincha

इस प्रकार Pet Food (dog & cat feed) cattle feed एवं cattle fodder की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं ही उक्त वस्तु पर मासिक रिर्टनों में 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। चूँकि प्रश्नगत प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इनके द्वारा प्रश्नगत वस्तु पर 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।